भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या, 3037

09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ अदालती मुकदमें

3037. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नि:शक्तता पेंशन के संबंध में सेवारत अधिकारियों और सेवानिवृत्त सैनिकों के खिलाफ शुरू किए गए अदालती मुकदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सेवारत अधिकारियों/सेवानिवृत्त सैनिकों की नि:शक्तता पेंशन से संबंधित मामलों का मुकदमा लड़ने के लिए कोई नीति बनाई गई है अथवा निर्देश जारी किए गए हैं;और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): सरकार ने नि:शक्तता पेंशन के संबंध में सेवारत अधिकारियों और सेवानिवृत्त सैनिकों के खिलाफ कोई अदालती मुकदमा शुरू नहीं किया है ।

(ख) और (ग): रक्षा मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों की तरह, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें निचली अदालत द्वारा दिए गए ऐसे निर्णयों, जो सरकार के विनियमों/नीतियों से भिन्न हैं, के बारे में विधि कार्य विभाग से विधिवत रूप से परामर्श करने के बाद अपील की जाती है । माननीय सशस्त्र सेना अधिकरण के ऐसे सभी आदेशों, जो सरकार की नीतियों के अनुरूप हैं, का कार्यान्वयन किया जाता है । जहाँ आदेश सरकार की नीतियों से भिन्न होते हैं और जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के सुस्थापित विधि के साथ अंतिमता प्रदान नहीं की होती है वहां सरकार न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन से पूर्व विधिक उपचारों का प्रयोग करती है ।

*****